

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

पूरन देई

बनाम.....

राजेश वरुण

किस्म मुकदमा.....

प्राप्य शिर्मा

न०.....

५०

सन २०२५

तारीख मस	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्यक नोटिस से की जावे।</p> <p>प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थोई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख.न. 799 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 802 रकबा 0.1300 हैक्टेयर वाले ग्राम बंशी बागरी तहसील रूपबास में मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस आज्ञा बाबत कोई उच्च हो तो नियत दिनांक दिनांक 30.05.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जबाब पेश करे। आदेश 39 नियम 3 (क)(i)(ii)(iii) एवं 3 b सी.पी.सी की पालना की जाकर पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>wh</i> उपखण्ड अधिकारी रूपबास</p>	
30/5/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। कुकुलान - फरीकन उपर। जबाब दिये समय दिया जाना पत्रावली वास्तु जबाब प्रयाप्त। दिनांक 31/7/25 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><i>wh</i></p>	
17/6/25	<p>पत्रावली आज प्रार्थी के तलवी</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए

प्रार्थना पत्र कार्यालय हाजा से
तलव की गयी उक्त प्रकार से
सम्बन्धित मूल वाड आज विद्धो
हो चुका है अतः मूल वाड के
विद्धो होने के कारण प्रार्थना पत्र
का कोई मौचित्य नहीं है अतः
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता
है पत्रावली केसल शुमार होकर
नम्बर ६ रुम हो उरियल
उत्तर हो

Wd
व्यखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

दि. १५/११/२०
श्री. श्री. श्री.
गो. श्री.
ल. श्री.